

**SAMPURNANAND
SANSKRIT UNIVERSITY
VARANASI-221002**



**CONSTITUTION OF RESEARCH ADVISORY COMMITTEE (RAC),
RESEARCH DEGREE COMMITTEE OF THE UNIVERSITY (RDUC)
AND DEPARTMENTAL RESEARCH COMMITTEE (DRC)**



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
विद्यावारिधि उपाधि अध्यादेश २०२४ में वर्णित शोध समितियाँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम,
२०२२ के अनुरूप पीएच.डी कार्यक्रम हेतु शोध समितियाँ

२१. शोध समितियाँ- विद्यापरिपद् के निर्देशन में विश्वविद्यालय को विद्यावारिधि-उपाधि से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में इन विनियमों के सापेक्ष निम्नलिखित समितियाँ विश्वविद्यालय में कार्य करेंगी।

१- विश्वविद्यालयीय शोध समिति (Research Degree Committee of the University (RDUC).

२- विभागीय शोध समिति (Departmental Research Committee (DRC).

३- शोध सलाहकार समिति (Research Advisory Committee (RAC).

२१.१- विश्वविद्यालयीय शोध समिति (RDUC) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

१- कुलपति

अध्यक्ष

२- सम्बन्धित संकायाध्यक्ष-

सदस्य

३- निदेशक, अनुसन्धान

सदस्य

४- विभागाध्यक्ष

सदस्य

५- सम्बन्धित विषय में कुलपति द्वारा नियुक्त दो बाह्य विशेषज्ञ-

सदस्य

६- उपकुलसचिव, शैक्षिक

संयोजक

२१.२ विभागीय शोध समिति (DRC) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

- | | |
|--|---------|
| १- विभागाध्यक्ष- | अध्यक्ष |
| २- समस्त विभागीय आचार्य- | सदस्य |
| ३- एक विभागीय सह-आचार्य (वरिष्ठता क्रम से ३ वर्षों के लिये चक्रानुक्रम द्वारा)- | सदस्य |
| ४- एक विभागीय सहायक-आचार्य (वरिष्ठता क्रम से ३ वर्षों के लिये चक्रानुक्रम द्वारा)- | सदस्य |
| ५- मार्गनिर्देशक तथा सह-मार्गनिर्देशक (यदि कोई हो)- | सदस्य |

२१.३ शोध सलाहकार समिति (RAC) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

- | | |
|---|---------|
| १- निदेशक, अनुसन्धान - | अध्यक्ष |
| २- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष- | सदस्य |
| ३- समस्त विभागीय आचार्य- | सदस्य |
| ४- कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित विषय का एक वाह्य विशेषज्ञ- | सदस्य |
| ५- मार्गनिर्देशक तथा सह-मार्गनिर्देशक (यदि कोई हो)- | सदस्य |

विशेष- किसी भी परिस्थिति में किसी भी नियम की अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् द्वारा उपर्युक्त विनियमों के प्रावधानों में संशोधन/ परिवर्तन या उसके निरस्तीकरण का सुझाव विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् को प्रेषित किया जा सकता है। कार्यपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय मान्य होंगे।

1. मन्त्रालय
29.03.25

विष्णु
29/03/25

कोलार, गुम्टि
29.3.25

AR
29.3.25

AR
29/3/25

AR
29.3.25